**आयकर अपीलीय अधिकरण,**
**इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर**

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 522 तथा 523 /इंदौर/2024
निर्धारण वर्ष : 2013-14

| | | |
|---|---|---|
| अभय शुक्ला,<br>एस-8, गोयल निकेत,<br>एम.पी.नगर,<br>भोपाल | बनाम | आयकर अधिकारी 1(2)<br>भोपाल |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं. सीकेजेपीएस 7731 आर PAN - CKJPS7731R | | |

| | |
|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से : | श्री सौम्य बंब, सीए |
| प्रत्यर्थी की ओर से : | श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
| सुनवाई तिथि : | 27.02.2025 |
| उद्घोषणा तिथि : | 27.02.2025 |

## आदेश

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारिती द्वारा ये अपीले विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.05.2024 तथा 07.05.2024, जो क्रमशः निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अधीन पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 तथा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 से उद्भूत हैं, के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इन अपीलों की सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि इन प्रकरणों में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर

आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती के विरूद्ध एक पक्षीय (Ex parte) आदेश पारित किये गये हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इन अपीलों को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इन अपीलों को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इन मामलो को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान अधिकारिता निर्धारण अधिकारी (Jurisdiction AO) की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ । मैं, तदनुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः, निर्धारिती की अपीलें सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 27.02.2025 को खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 27.02.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल